बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 337845 /   पटना, दिनांक- 18/11/2017

ग्रा0वि0-7 (विविध)-17/2017

प्रेषक,

सी0पी0 खंडूजा,
निदेशक सामाजिक वानिकी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषय:- **ग्राम सभा के आयोजन में जिला स्तर से अनुश्रवण की व्यवस्था एवं विभिन्न गतिविधियों पर होने वाले व्यय हेतु सभी ग्राम पंचायतों के लिए आकस्मिकता की राशि के अनुमान्यता के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-330372 दिनांक-26.09.2017 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक- 20.11.2017, 21.11.2017 एवं 22.11.2017 को सभी प्रखंडों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है । प्रति दिन एक प्रखंड की सामान्यत: एक तिहाई ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जायेगी । ग्राम सभा के सफल आयोजन सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि जिला स्तर से ग्राम सभा अनुश्रवण किया जाय ।

इस क्रम में विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है -

1. ग्राम सभा की बैठक में जिला पदाधिकारी हर ग्राम पंचायत में एक प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से भेजेगें जो समुचित मार्गदर्शन के साथ ग्राम सभा की कार्रवाई के संबंध में लिखित प्रतिवेदन देगें ।
2. राज्य स्तर से जिला के लिए नामित पदाधिकारी ग्राम सभा के दौरान जिला का क्षेत्र भ्रमण करेगें तथा तीनों दिन किसी भी एक ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में भाग लेगें । जिला इस कार्य में उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें तथा उनके आवासन, भोजन आदि का प्रबंध कराना सुनिश्चित करेगें (**प्रभारी पदाधिकारी की सूची पत्र के साथ संलग्न है**) ।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के आयोजन हेतु अधिकतम 3000/- (तीन हजार) रूपया तक व्यय करने का अनुमति प्रदान किया जाता है । इस राशि का व्यय ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा हेतु निम्न गतिविधियों पर किया जायेगा ।
    a) माइक की व्यवस्था ।
    b) टेंट एवं बैठने हेतु दरी/कुर्सी आदि की व्यवस्था ।

c) फ्लैक्स की व्यवस्था ।

d) ग्राम सभा के प्रचार- प्रसार हेतु एक दिन रिक्शा पर माइक लगाकर ग्रामीणों को इसके बारे में जानकारी प्रदान करना ।

e) ग्राम सभा की फोटोग्राफी एवं विडियोंग्राफी की व्यवस्था ।

इस राशि को कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत भाउचर के विरूद्ध, फंड ट्रांसफर आर्डर (FTO) के जनरेट कर प्रखंड स्तर पर संधारित आकस्मिकता मद की खाते में Pull करेगें ।कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की ग्राम पंचायतो में आयोजित होने वाले ग्राम सभा से संबंधित फोटोग्राफ एवं विडियोंग्राफ MGNREGA Monitoring Whatsapp group में Share करेंगे ।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक: यथोक्त

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

(सी0पी0 खंडूजा)
निदेशक सामाजिक वानिकी

ज्ञापांक- 337845 दिनांक- 18/11/2017

प्रतिलिपी:- सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को आवंटित जिला के ग्राम सभा में भाग लेने की कृपा की जाए ।

(हस्ताक्षर)

निदेशक सामाजिक वानिकी

ज्ञापांक- 337845 दिनांक- 18/11/2017

प्रतिलिपी:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 18.11.17

निदेशक सामाजिक वानिकी

<u>पदाधिकारियों के नाम/पदनाम एवं आवंटित जिला</u>

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित जिला का नाम
1	2	3
1	श्री सी0पी0 खण्डूजा, निदेशक सा0वा	पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं नालंदा
2	श्री राधा किशोर झा, विशेष सचिव	दरभंगा, समीस्तीपुर एवं भागलपुर
3	श्री राहुल रंजन महिवाल, अपर सचिव	मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं बांका
4	श्री संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव	मुंगेर एवं लखीसराय
5	श्री राजेश परिमल, उप सचिव	नवादा जमुई
6	श्री नारायण साव, अवर सचिव	औरंगाबाद, खगडिया एवं कटिहार
7	श्री सदय कुमार सिन्हा, अवर सचिव	बेगूसराय, सहरसा एवं सुपौल
8	श्री जगदीश कुमार चौधरी, अवर सचिव	गया एवं जहानबाद
9	श्री श्रीमती कनक बाला, उप सचिव	भोजुपर बक्सर एवं पटना
10	श्री विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी	पूर्णियॉ, अररिया एवं मधेपुरा
11	श्री अनुराग कौशल सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी	गोपालगंज, सारण एवं मधुबनी
12	श्री सत्येन्द्र शर्मा, कार्यपालक अभियंता	शेखपुरा एवं सीतामढ़ी
13	श्री नवल किशोर सिंह, कार्यपालक अभियंता	सीवान एवं किशनगंज
13	सुश्री आरती, विशेष कार्य पदाधिकारी	रोहतास एवं कैमूर
14	श्री सुनिल प्रकाश सिंह, निरीक्षी पदाधिकारी	शिवहर एवं अरवल